राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल),
सी– विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2

सं0फा0 2(05)/2012–13/भाषा/ दिनांक:

13 JUN 2012

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
3. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
5. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम (मुख्यालय), इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
6. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
7. विभागाध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
8. निदेशक (प्र0 एवं का0), दिल्ली जल बोर्ड, झंडेवालान, नई दिल्ली।
9. उप–सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–2
11. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–2
12. अतिरिक्त उपायुक्त (भाषा), राजभाषा अनुभाग, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
13. प्रधानचार्य, तीब्बया कालेज, अजमल खां रोड, नई दिल्ली–5
14. सी0ई0ओ0, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दरियागंज, नई दिल्ली–2
15. सी0ई0ओ0, दिल्ली स्टेट हज कमेटी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–2

विषयः सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स एवं उर्दू निबंध व सुलेख प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी।

महोदय,

दिल्ली सरकार की नई भाषा नीति और ''दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000'' के संदर्भ में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार और सरकारी काम काज में उर्दू के एक अनिवार्य स्तर तक प्रयोग की दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित/प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भाषा विभाग (उर्दू सैल) की उर्दू प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में उर्दू निबंध एवं सुलेख प्रतियोगिता और उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन निम्न विवरण के अनुसार किया जा रहा है:–

क्र0 स0	कार्यक्रम
1	उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स
2	उर्दू निबंध प्रतियोगिता
3	उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

उर्दू प्रतियोगिता का वर्ग विभाजन निम्न प्रकार है।

(1) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

वर्ग ''क'' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक ऊर्द भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग ''ख'' सीनियर सैकेंडरी से उपर तक ऊर्द भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग ''ग'' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
वर्ग 'घ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू के भाषा अध्यापकों के लिये।

(2) उर्दू निबंध प्रतियोगिता

वर्ग ''क'' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग ''ख'' सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातक उत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।
वर्ग ''ग'' सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।
वर्ग 'घ' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु ।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
वर्ग 'ङ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार 2100/– रु 1500/–रु 1100/–रु एवं 500/–रु नकद प्रथम, द्वितीय,तृतीय, एवं पाचं प्रोत्साहन पुरस्कार, मोमेन्टो, पुस्तकें एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएगें।

(3) चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्सः–

उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में कोई वर्ग विभाजन नही है। इस में सभी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इस में भाग लेने वाले अधिकरियों/कर्मचारियों को कुल 200/–रु यात्रा भत्ता, पुस्तकें/शब्द कोष, कलम, नोट बुक एवं प्रमाण पत्र भी दिये जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय एवं इसके अधीन समस्त निकायों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतियोगिता एवं रिफ्रेशर कोर्स के बारे में अवगत करवाने का कष्ट करें एवं इच्छुक अधिकरियों/कर्मचारियों के नाम सलंग्न प्रपत्र में भरकर इस विभाग को शीध्र भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

134/C

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल)
सी–विंग, सातवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2

उर्दू प्रतियोगिता एवं वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिये प्रपत्र

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. पदनाम : ....

4. उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता : ....

5. विभाग/कार्यालय : ....
(पूरा पता एवं दूरभाष संख्या सहित)

निवास का पूरा पता दूरभाष स0 सहितः..............................

....

6. प्रतियोगिता का नाम तथा वर्ग : ....
जिसमें भाग लेना चाहते हैं।
(निम्न विवरण के अनुसार टिक (✓) करें।)

(1) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

वर्ग "क" भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक ऊर्द भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग "ख" सीनियर सैकेंडरी से उपर तक ऊर्द भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग "ग" उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
वर्ग 'घ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

(2) उर्दू निबंध प्रतियोगिता

वर्ग "क" भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।
वर्ग "ख" सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातक उत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।
वर्ग "ग" सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।
वर्ग 'घ' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु ।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
वर्ग 'ङ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

प्रेषण अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मोहर

183/2

उर्दू प्रतियोगिता की नियमावली

16. इन प्रतियोगिताओं का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की (i) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता (ii)उर्दू निबंध प्रतियोगिता, है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नई भाषा नीति के अन्तर्गत उर्दू भाषा के प्रोत्साहन और प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त दिल्ली सरकार एवं इसके अधीनस्थ स्थनीय निकायों स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू के प्रति रूचि पैदा करना और उन्हें विभागीय काम काज में एक अनिवार्य स्तर तक उर्दू के प्रयोग, की दिशा में प्रेरित करना है।

17. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भी भाग ले सकते है।

18. प्रतियोगी उर्दू की किसी एक प्रतियोगिता में अथवा सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इन में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है।

19. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम उर्दू अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के पास उचित माध्यम द्वारा भेजने होंगे।

20. **उर्दू सुलेख प्रतियोगिता** के कुल अंक 50 होंगे, इसका समय 20 मिनट होगा और इसके निम्न वर्ग होंगे:–

(1) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

वर्ग "क" भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी तक ऊर्द भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग"ख"सीनियर सैकेंडरी से उपर तक ऊर्द भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग "ग" उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

वर्ग 'घ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

(2) उर्दू निबंध प्रतियोगिता

वर्ग"क" भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग "ख" सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर (स्नातक एवं स्नातक उत्तर) तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

वर्ग "ग" सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।

वर्ग 'घ' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु ।(उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

वर्ग 'ङ' उर्दू माध्यम एवं उर्दू भाषा के अध्यापकों के लिये।

21. प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित हैं:–

प्रथम पुरस्कार	(एक)	2100/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	1500/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	1100/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पाचं)	0500/–रूपये(प्रत्येक वर्ग)

22. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध में और पुरस्कारों की संख्या, राशि, स्थान और तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार का समुचित परिवर्तन करने का अधिकार है।

23. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या उसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव(भाषा) दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम, बाध्यकार और सर्वमान्य होगा।

24. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, उर्दू सैल और उर्दू अकादमी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/कार्यालय में कार्यरत उर्दू भाषा से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

25. नई प्रतियोगिताओं के प्रत्येक वर्ग में पिछले वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी इस वर्ष की उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। यदि वह प्रतियोगिता में भाग लेता है और पुरस्कार हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे पुरस्कार में केवल सर्टिफिकेट ही जारी किया जाएगा। जो प्रतियोगी पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह इस वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे उपर का ही पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगें। जो प्रतियोगी पिछले वर्ष प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह इस वर्ष की प्रतियोगिता में तृतीय या उससे उपर का ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगें या लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे।

26. सुलेख प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार के लिये कम से कम 15 और निबंध में कम से कम 30 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

27. इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को प्रशस्ति–पत्र, नियमानुसर स्वीकार्य नकद पुरस्कार राशि, मोमेंटो/मैडल से सम्मानित किया जाएगा।

13 JUN 2012

Muni Maya Ram Marg
T. V. Tower ...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02.

सं0फा0 05(09)/2010–क0सं0 एवं भाषा/ 697 **दिनांक:** 6/6/12

सेवा में,

1. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।**
2. **आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल एवं सिविल सैन्टर, मिन्टो रोड़, दिल्ली/नई दिल्ली।**
3. **विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।**
4. **महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।**
5. **अध्यक्ष/महाप्रबंधक, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, नई दिल्ली।**
6. **विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झंडेवालान, नई दिल्ली।**
7. **अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली।**
8. **सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।**

विषयः हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप कक्षाओं का गठन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के अभाव को कम करने के लिये दिल्ली सरकार का कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग हिन्दी टाइप/हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देता है ताकि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने में कोई असुविधा न हो। उपरोक्त प्रशिक्षण निम्नलिखित पते पर दिया जाता है :–

1. **हिन्दी टाईप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, कमरा नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली।**

हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष तथा हिन्दी टाइप प्रशिक्षण की अवधि छठ माह तथा समय एक घंटा प्रतिदिन होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग/कार्यालय के हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप सीखने के लिये **इच्छुक कर्मचारियों के नाम दिनांक 03.07.2012** तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें ताकि **दिनांक 10.07.2012 से कक्षाएं** आरंभ की जा सके, यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि **प्रशिक्षण** के लिये नामित **कर्मचारियों को प्रशिक्षण** की अवधि के दौरान कक्षाओं में नियमित **रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है** क्योंकि यह जानकारी में आया है कि कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये अपने कार्यालय से चल पड़ते है लेकिन **प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं।** ऐसे कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये उनके विभागों को लिखा जायेगा। हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपरोक्त विभाग **प्रशिक्षण** प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के नाम हिन्दी **शिक्षण योजना (टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण/स्कंध), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार या सेवाएं–3 विभाग** के माध्यम से हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण परीक्षा देने के लिये उनके पास नाम भेजे जाते है।

टीपः संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in पर देखी जा सकती है।

भवदीय

(राजेश सचदेवा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

सं0फा0 05(09)/2011–क0सं0 एवं भाषा/ 698 – 699 **दिनांकः** 6/6/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. हिन्दी टाईप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, कमरा नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली।
2. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट में डालने के संदर्भ में।

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)

D:\My Documents\letters\Letters.doc